

# नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1-ए-वी/5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक III / न.नि./अमृत विविध/2024-25,

दिनांक: 13/09/2024.

सेवा में,

- 1- **Rudrabhishek Enterprises Ltd.**  
A-6, Sector-58, Noida, Uttar Pradesh  
Pin-201301
- 2- **Creative Circle,**  
Plot No. 31, Bhaskar Prabha APT.  
Shankarnagar (E), Nagpur, Maharashtra  
Pin- 4400101
- 3- **Institute of Spatial Planning and  
Environment Research, India (ISPER)**  
C-1, Amravati Enclave, Panchkula-Simla  
Highway, P.O. Amravati Enclave  
Panchkula, Haryana, Pin- 13410
- 4- **Almondz Global Infra Consultants Ltd.**  
F-33, Okhla Industrial Area, Phase-II,  
New Delhi Pin- 110020
- 5- **V.K. Supreme Consultants Pvt. Ltd.**  
9 Ka 7, Jyoti Nagar, Sahkar Marg, Jaipur.  
Rajasthan Pin- 302015
- 6- **All India Institute of Local Self  
Government**  
11/13, Horniman Circle, Botawala  
Building Fort, Mumbai, Maharastra Pin-  
400023
- 7- **M/S Stesalit System Limited**  
Stesalit Towers 1<sup>st</sup> Floor, E-2/3 EP &GP  
Block,  
Salt Lake, Sector-V, Kolkata.  
Pin- 700091
- 8- **Centre for Symbiosis of Technology,  
Environment & Management (STEM)**  
11&12, 1<sup>st</sup> Floor, BDA Complex,  
Koramangala, Bangalore, Karnataka.  
Pin- 560034
- 9- **DDF Consultants Pvt. Ltd.**  
501, B-9, ITL Twin Tower Netaji Subhash  
Palace, Pitampura, New Delhi-110034
- 10- **Design Point Consult Pvt. Ltd.**  
607-610, B-Wing, Tirupati Plaza,  
Nr. SUDA Bhavan, Athwa Lines,  
Surat, Gujarat, India, Pin-395001
- 11- **N.K. Buildcon Pvt.Ltd.**  
B-62, "UGANTA", University Marg,  
Bapu Nagar, Jaipur, Rajasthan  
Pin- 302015

विषय: अमृत शहरों हेतु तैयार की जा रही जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप अवगत हैं कि भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत तैयार की जा रही महयोजनाओं की संरचना हेतु आपकी फर्म द्वारा किया सम्पादित किया जा रहा है। आपकी फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ.प्र. शासन के साथ-साथ इस कार्यालय द्वारा भी निरन्तर किया जा रहा है।

2 आपको अवगत कराना है कि अमृत योजनान्तर्गत तैयार की जा रही महायोजनाओं की समयावधि दिसम्बर 2024 तक की अवधि भारत सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है एवं भारत सरकार द्वारा इस अवधि के अन्दर समस्त महायोजनाओं को शासन स्तर से अधिसूचित कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

3 शासन स्तर पर किये जा रहे निरन्तर अनुश्रवण में महायोजना संरचना के कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है तथा तिथि भी निर्धारित की जा रही है परन्तु आपके स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं प्रदान किया जा रहा है। उक्त के क्रम में आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

3.1 ऐसी महायोजनायें जो शासन द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं, का स्वीकृत महायोजना हेतु निर्गत शासनादेश में निहित शर्तों/निर्देशों को सम्बन्धित अभिकरणों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हुये समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण कराते हुये अद्यतित महायोजना प्रतिवेदन(समस्त मानचित्रों सहित अपेक्षित स्केल पर) सम्बन्धित अभिकरणों, सहयुक्त नियोजक कार्यालय, मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं शासन को प्रेषित करवायें।

3.2 ऐसी महायोजनायें जिनका कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, हेतु अपनी टीम को तत्काल सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड कार्यालय में दिनांक 17 सितम्बर 2024 तक उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। सम्भागीय नियोजन खण्ड कार्यालय द्वारा आपकी टीम को अनुपस्थित सम्बन्धी पत्र प्रेषित किया जाता है तो इस दशा में अनुबन्ध के अनुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कर दी जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/  
नोडल अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
3. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, अमृत योजनान्तर्गत चयनित विनियमित क्षेत्र।
4. सहयुक्त नियोजक, समस्त सम्भागीय नियोजन खण्ड को निर्देश के साथ कि दिनांक 17 सितम्बर 2024 को कन्सलटेंट की उपस्थिति प्रमाणित करें।

(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/  
नोडल अधिकारी